RESEARCH PAPER | Political Science | Volume : 3 | Issue : 9 | Sept 2013 | ISSN - 2249-555X

भारतीय संविधान में पंक्षनिरपेक्षता
Secularism in Indian Constitution

KEYWORDS: संविधान ,पंथनिरपेक्षता, सेकुलर, अस्पृश्यता, विशेषाधिकार ।

Dr.Surya Bhan Singh

Assistant Professor & Co-ordinator Deptt of Political Science Uttarakhand Open University, Haldwani ,Nainital (263139)

ABSTRACT भारत में संविधान निर्माताओं के लिए आजादी के लिए संघर्ष के आदर्श मार्गदर्शक रहे है। उनमें से बहुत से आदर्शो को संविधान में उपबन्ध करके उन्हें भ. ारतीय राजव्यवस्था का अंग बना दिया। जिससे ये सदैव देश को उन आदर्शो और लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील बनाए रखें और उनकी निरंतर प्राप्ति के लिए प्रयास भी करें।

इन्ही कुछ आदर्शो में एक महत्वपूर्ण है पंथ निरपेक्षता यद्यपि मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग तो नहीं किया गया था परन्तु संविधान के बहुत से भागों में पथ निरपेक्षता का समर्थन और पोषण करने वाले प्रावधान किये किये गये थे। इन्हीं से संबन्धित पक्षों का इस शोध पत्र में अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना –
भारतीय जनमानस इस बात से भलीभाँति अवगत है कि आजादी की लड़ाई में भारत के सभी जाति धर्म, भाशा क्षेत्र के लोगों ने एक जुट होकर (यदा कदा अपवादों को छोड़कर) संघर्ष किया है, और अन्ततः 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त हुई। इस लिए संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी समस्या थी इन सभी समुदायों को चाहे वे किसी भी धर्म से संबंध रखते हो समान रूप ये संरक्षण प्राप्त हो, जिससे उनके विकास में धर्म के आधार पर न तो किसी को विषेशाधिकार हो और न ही कोई वंचित हो। ऐसा केवल पंथनिपेक्षता को अपनाकर ही किया जा सकता था। इसी लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में इससे संबधित व्यापक प्रावधान किये।किन्तु पंथनिरेक्षता षब्द का उपबन्ध मूलसंविधान में नहीं किया गया था।इस षब्द का प्रावधान और अधिक स्पश्टता के लिए 42वें संवैधानिक संषोधन 1976 के द्वारा किया गया।

पंथनिरपेक्षता का अर्थः– भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता का जो प्रावधान किया गया है उसमें निम्नलिखित पक्ष षामिल है

1. भारत का अपना कोई राज धर्म नही होना अर्थात किसी धर्म विषेश के प्रभाव में या अधीनता में नहीं होगा।
2. राज्य अपने देष वासियों को धार्मिक अधिकार प्रदान करने में सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा। इसमें कोई विषेशाधिकार प्राप्त धार्मिक समुदाय नहीं होगा।
3. धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जायेगा।
4. लोक नियोजन में अर्थात सरकारी पदों की प्राप्ति में भी राज्य के द्वारा ध ार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बल्कि सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे।

भारत में पंथनिरपेक्षता :– अंग्रेजी का सेकुलर षब्द धर्म निरपेक्ष के बजाय 'पंथनिरपेक्ष' के अधिक निकट है। इस सन्दर्भ में भारतीय दर्षन की परंपरा में धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य धारयति यः सः इति धर्म'' अर्थात जो ध ारण करने योग्य हो वही धर्म है। इस अर्थ में धर्म से अलग अपने को अलग नहीं किया जा सकता हैं।क्योंकि इस अर्थ में एक जीवन षैली है। इस लिए ध र्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथनिरपेक्ष षब्द सेकुलर के अधिक निकट है।इसी लिए संविधान निर्माता साम्प्रदायिक संघर्श और अन्ततः देष के विभाजन से भयभीत होकर देष को, एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसके समर्थन में मौलिक अधिकार के भाग में अनुच्छेद 25 से 28 तक महत्वपूर्ण प्रावधान कर सभी धर्म के मानने वालों को समान धार्मिक अधिकार प्रदान कर, उसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया।

भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता :–
मूल भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता षब्द का उपबन्ध नहीं किया गया था।. इसका उपबन्ध 42 वें संवैधानिक संषोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किया गया है।यद्यपि मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'विष्वास', धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता जैसे प्रावधान किया गया है।किन्तु पंथनिरपेक्ष षब्द का उपबन्ध कर इन्हें और स्पश्ट करने का प्रयास किया गया है।इस प्रकार स्पश्ट रूप से कहा जा सकता है कि पथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है।राज्य सभी धर्मो के साथ समानता के आधार पर व्यवहार करेगा और सभी को समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा।इसके साथ साथ यह उपबन्ध यह भी स्पश्ट करता है कि देष के सभी नागरिकों को अपनी रुचि के अनुसार धर्म को मानने उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता होगी।

भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता को और अधिक स्पश्टता करने के लिए, संविध ान के भाग–3 में उपबन्धित मौलिक अधिकारों के रुप में कुछ अनुच्छेदों को भी स्पश्ट करना नितान्त आवष्यक है। जो इस प्रकार हैं –

1.भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यह घोशणा करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे और सभी को कानून का समान संरक्षण होगा। इस उपबन्ध को और अधिक व्यापकता में देखते है तो स्पश्ट है कि यह कानून के षासन की स्थापना करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का कोई विषेशाधिकार नहीं होगा चाहे वह एक साधारण व्यक्ति है या प्रधानमंत्री।सभी एक ही कानून से षासित होगें।

इस दृश्टि से संविधान का अनु0 15 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परम्परागत भारतीय समाज के सामाजिक विभाजन को कमजोर कर समरसता को बढ़ावा देता है।अनु0 15 के अनुसार राज्य धर्म, मूलवंष, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर किसी नागरिक के साथ कोई भेद – भाव नहीं करेगा।इसका तात्पर्य है कि राज्य सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार करेगा किसी के साथ धर्म के आधार पर किसी विभेद का निशेध करता है।

इसी प्रकार से अनु0 16 यह प्रवधान करता है कि राज्य के अधीन नियोजन में अर्थात सरकारी पदों पर नियुक्ति में सभी को समान अवसर प्राप्त होगें ।अनु0 16(2) में यह प्रवधान है कि केवल धर्म मूलवंष जाति लिंग जन्म स्थान निवास अथवा इनमें से किसी आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्य के अध ीन पदों पर नियोजन के संबंध में न तो अपात्रता होगी न ही विभेद किया जाएगा।सामाजिक समरसता की स्थापना में एक और अनुच्छेद है जो भारतीय समाज में मील का पत्थर साबित हो रहा है।वह है अनु0 17 के अंतर्गत अस्पृष्यता को समाप्त घोशित किया गया है। इसके किसी भी रूप में पालन या प्रोत्साहन को दण्डनीय अपराध घोशित किया गया है।
इसी प्रकार धार्मिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत 4 अनुच्छेदों के तहत प्रावधान किये गये उपबन्ध भारतीय संविधान द्वारा पथ निरपेक्षता राज्य की स्थापना की दिषा में प्रयास है। ये चारों उपबंध इस प्रकार है –
अनु0 25 (1) में यह उपबन्ध है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता और धर्म को अवाध रूप से मानने उसके अनुरूप आचरण करने और प्रचार करने की पूरी स्वतन्त्रता है। पथ निरपेक्षता का इससे बड़ा उपबन्ध क्या हो सकता है कि यह अधिकार न केवल नागरिकों को वरन विदेषियों को भी प्राप्त है।
इसके आगे अनु0 26 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके भाग को धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना धार्मिक कार्यों से संबंधि ात सभी विशयों कोई प्रबन्ध का अधिकार है।
अनु0 27 सभी धर्मो को अपनी धार्मिक गतिविधियों को संचालित और प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करती है। क्योकिं संविधान निर्माताओं का मानना था कि संविधान में अधिकार का प्रबन्धन न कर देना ही पर्याप्त नहीं है वरन उसके उपभोग की दषाएं भी होनी चाहिए इसी प्रकार अनु0 27 में यह उपबन्ध है कि किसी विषेश धर्म की अभिवृद्धि के मामले में कर संदाय से स्वतंत्रता । इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसे आय पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो किसी धर्म विषेश या उसके किसी भाग की अभिवृद्धि के लिए व्यय के लिए विनिर्दिश्ट है। इसी प्रकार अनु0 28 में कुछ ऐसे प्रावधान है जो कुछ संस्थाओं में धार्मिक स्वतन्त्रता से संबन्धित है जो इस प्रकार है ।

1. राज्य निधि से पोशित षिक्षण संस्था में कोई धार्मिक षिक्षा नहीं दी जाएगी।
2. यह बात ऐसे षिक्षण संस्था पर लागू नहीं होती है जिसका प्रषासन यद्यपि राज्य करता है, परन्तु जिसकी स्थापना न्याय के अधीन हुई हो जिसके अनुसार धार्मिक षिक्षा देना आवष्यक है,
3. राज्य से सहायता प्राप्त किसी षिक्षण संस्था में दी जाने वाली धार्मिक षिक्षा में षामिल होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि

Volume : 3 | Issue : 9 | Sept 2013 | ISSN - 2249-555X

उस व्यक्ति ने यदि वह वयस्क नही है तो उसके अभिभावक (संरक्षक) ने अपनी सहमति नहीं दे दी हों।

डॉ आर. एन. त्रिवेदी और डॉ एम पी राय के अनुसार विष्व के अन्य किसी भी संविधान के द्वारा अल्पसंख्यको को धार्मिक सांस्कृतिक और षैक्षणिक अधिकार को उस हद तक संवैधानिक संरक्षण नहीं दिया गया है। जैसा कि भारतीय संविधान के अनु0 29 और अनु0 3 के द्वारा प्रदान किया गया है।
अनु0 29(1) भारत या उसके किसी भाग के निवासी को अपनी भाशा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोशित या राज्य की निधि से सहायता प्राप्त किसी भी षिक्षण संस्था में प्रवेष से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंष, भाशा या इनमें से किसी भी एक आधार वंचित नहीं किया जाएगा।
इसी प्रकार अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यको को षिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रषासन के संबंध में अधिकार प्रदान करता है जो इस प्रकार है –
धार्मिक या भाशायी अलपसंख्यक को अपनी रूचि की षिक्षण संस्थाओं की स्थ. ापना और प्रशासन का अधिकार होगा।राज्य षिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में धर्म या भाशा के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

इस प्रकार मौलिक अधिकारों से संबंधित में प्रावधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने का आधार प्रदान करते है।

निष्कर्ष–इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान एक पंथनिरपेक्ष राज्य है ।जहां यह एक तरफ राज्य को प्रस्तावना में बंधुता बढाने और पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की घोड्ढणा करता है। वहीं संविधान के अन्य भागों में विषेड्ढरूप से मौलिक अधिकारों के भाग में पंथ निरपेक्ष राज्य के समर्थन में अनेक मौलिक अधिकारों का उपबंध करता है। इन उपबंधों में एक तरफ सभी को क़ानून के समक्ष सामान घोशित करते है और सभी को संविधान द्वारा सामान संरक्षण प्रदा करने की बात करते है तो दूसरी तरफ धर्म के आधार पर विभेद के निड्डेध का भी प्रावधान करते हैं इसके आगे बढ़ते हुए सरकारी पदों पर नियुक्ति के मामले में सभी को सामान अवसर प्रदान करते है और अनुच्छेद २५ से २८ तक सभी को अपने रुचि के धर्म को मानने उसके अनुरूप आचरण करने और धार्मिक मामले में प्रबंध की तो स्वतंत्रता प्रदान करते है और इनके प्रोत्साहन के लिए उस आय को कर से मुक्ति प्रदान करते है जो जिसे धर्म की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है ।इससे भी आगे बढते हुए सभी को अपनी पसंद की षिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार के साथ अपनी भाशा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करते है और इन सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद ३२ के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उपबंध करते है जिसके तहत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर इसके तहत सर्वोच्च न्यायलय में जाने और न्याय पाने का सभी नागरिकों को समान अधिकार है। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह स्पश्ट है की भारतीय संविधान एक पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है ।

REFERENCE डॉ.आर.एन त्रिवेदी और डॉ.एम.पी राय – भारतीय सरकार और राजनीति, ब्रजकिशोर शर्मा – भारतीय संविधान, डॉ दुर्गादास बासु – भारतीय संविधान एक परिचय, एस.एम सईद – भारतीय राजव्यस्था ,डॉ.रूपा मंगलानी – भारतीय शासन और राजनीति । समाचार पत्र ;दैनिकद्ध – हिदुस्तान, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, टाइम्स आफ इण्डिया,।न्यूज चैनल – एन.डी.टी.वी.,ए.बी.पी, ई.टी.वी.।